संख्या–जी–1–270/दस–2012–202/2000

प्रेषक,

श्री आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ दिनॉक 16 नवम्बर, 2012

विषयः–राज्य सरकार के कार्यालयों /विभागों में क्रय किये गये कम्प्यूटरों को संचालित करने के लिए सरकारी सेवकों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–जी–1–1406/दस–238–89, दिनॉक 24 दिसम्बर, 1991 के अन्तर्गत राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों/कार्यालयों में क्रय किये गये कम्प्यूटरों को संचालित करने के लिए ऐसे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को जो अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त कम्प्यूटर को भी संचालित करते हैं, को राजपत्रित अधिकारियों के लिए रू0–150/– प्रतिमाह तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए रू0–100/– प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता शासनादेश जारी होने की तिथि से उपर्युक्त शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराया गया था किन्तु शासनादेश संख्या–जी–1–264/दस–238/89, दिनॉक 23 मार्च, 1992 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया था कि प्रोत्साहन भत्ता संबंधित विभागों/कार्यालयों के केवल लिपिक वर्गीय, सरकारी सेवकों, जिनमें आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव भी सम्मिलित हैं, को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या–जी–1–989/दस–96–238–89, दिनॉक 31 अक्टूबर, 1996 के अनुसार प्रोत्साहन भत्ता सरकारी सेवकों को उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक माह में कम से कम सात दिन तथा सात दिन में कम से कम 35(पैंतीस) घण्टे कार्य करने पर अनुमन्य कराया गया था। शासनादेश संख्या–जी–1–243/दस– 2000–202/2000, दिनॉक 10 अप्रैल, 2000 द्वारा केवल लिपिक वर्गीय सरकारी सेवकों, जिनमें आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव भी सम्मिलित है को उक्त प्रोत्साहन भत्ता रू0–200 प्रतिमाह अनुमन्य किया गया था।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वेतन समिति 2008 के सोलहवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सामान्य लिपिकीय संवर्ग एवं सामान्य आशुलिपिकीय संवर्ग के ऐसे पदधारक जिन्हें वर्तमान में कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता अनुमन्य हो रहा है, उन्हें पूर्व व्यवस्था/दरों पर कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता यथावत् देय रखने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि भविष्य में कम्प्यूटर संचालन की अर्हता के साथ सामान्य लिपिकीय संवर्ग एवं सामान्य आशुलिपिकीय संवर्ग के पदों पर सेवा में प्रवेश करने वाले कार्मिकों को कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

3— उपरोक्त प्रोत्साहन भत्ता की अनुमन्यता के संबंध में शासनादेश संख्या—जी—1—243/दस—2000—202/2000, दिनॉक 10 अप्रैल, 2000, शासनादेश संख्या—जी—1—989/दस—96—238—89, दिनॉक 31 अक्टूबर, 1996, एवं शासनादेश संख्या—जी—1—264/दस—238/89, दिनॉक 23 मार्च, 1992 में निहित शर्तें यथावत् रहेंगी।

4— उक्त आदेश दिनॉक 01 नवम्बर, 2012 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

आनन्द मिश्र
प्रमुख सचिव।

संख्या— जी—1—2701/दस—2012—202/2000 एवं तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार—1, 2 तथा 3 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
2— शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
3— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4— श्री राज्यपाल के सचिव।
5— प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/परिषद सचिवालय उत्तर प्रदेश।
6— निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7— समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(बी0के0 सिंह)
विशेष सचिव।